रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 307(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 143 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(घ) क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी धृत्तियों और उसके साथ-साथ तारीख 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट संव्यवहार के विषय में अपेक्षित प्रकटीकरण किए हैं, और यदि ऐसा है तो क्या यह कंपनी द्वारा रखी गई लेखाबहियों के अनुसार है।"

[फा. सं. 1/33/2013-सीएल-V-(खंड I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्यांक 246(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् तारीख 14 अक्तूबर, 2014 की सा.का.नि. संख्यांक 722(अ) और तारीख 14 दिसंबर, 2015 को सा.का.नि. संख्यांक 972(अ) द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 307(E).—In exercise of powers conferred by section 143 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in rule 11, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) whether the company had provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 and if so, whether these are in accordance with the books of accounts maintained by the company.".

[F. No. 1/33/2013-CL-V-(Vol.I)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014, subsequently amended *vide* G.S.R. 722(E), dated the 14th October, 2014 and *vide* G.S.R. 972(E), dated the 14th December, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.30 23:38:00 +05'30'